



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166640

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7781

सन् 2026

मीना सिंह कोटेदार

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

कौशलेन्द्र

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवदिका के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, आवदिका की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 10 सन् 2020 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी और 34 के अंतर्गत, थाना- वाराणसी सेक्शन (ई.ओ.डब्ल्यू.), जिला वाराणसी में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवदिका एक उचित मूल्य की दुकान की एजेंट थीं। उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट में 11 अन्य नामजद अभियुक्तों के साथ झूठा फँसाया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। सह-अभियुक्त दिनेश तिवारी (तत्कालीन कार्यकारी इंजीनियर), रवींद्र कुमार सिंह और सतीश चंद्र (सहायक विकास अधिकारी) को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 5375/2026, 5377/2026 और 5400/2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। एक अन्य सह-अभियुक्त, राकेश रोशन श्रीवास्तव को भी इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1691/2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह प्रकरण वर्ष 2004-05 का है और वर्ष 2020 में काफी विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आवदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, लेकिन वे आवदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यात्मक कथनों का खंडन नहीं कर सके।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

6. इस न्यायालय ने सह-अभियुक्त दिनेश तिवारी (तत्कालीन अधिशासी अभियंता), रवींद्र कुमार सिंह, सतीश चंद्र (सहायक विकास अधिकारी) और राकेश रोशन श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत दे दी है। यह प्रकरण 'संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' से जुड़ा बताया जा रहा है। उक्त अपराध वर्ष 2004-05 में कारित किया जाना बताया गया है। घटना के पंद्रह साल बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। आवदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मैं आवदिका को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

8. आवदिका का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदिका- **मीना सिंह कोटेदार** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदिका पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होगी।



ii. आवेदिका प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगी, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

iii. आवेदिका न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

iv. आवेदिका अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगी या उसे डराएगी-धमकाएगी नहीं।

10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

10 अगस्त, 2026

कुशल